

Written by कुमार सौवीर  
Saturday, 10 March 2018 10:40

: 0000 0000 000000 000 00 000000000000 0000 000 ? : 000000000 0000000000 00 000  
0000000 0000000 00000000000 000000000000 00 00000 0000 0000000 00000 00000000 00  
0000000 : 00000000 00 0000 0000 000000000 0000000000 0000 000000000 00 000000000 00  
00 00 00 000000 : 0000000000 00 0000000 00000 00 00 00000 00000 00 :

000000 000000

00000 : क्हावतें तो बेहसाब है, जो कसि भी मसले के बेहद खूबसूरती केसाथ और अपने मन् तव् य के प्रभावशाली ढंग से प्रस् तुत कर सकती हैं।  
मसलन, बात करो ईरान की तो बोलेंगे तूरान की, गये गजोधर झांडा फरिने, ड्यूढै पहुंची बरात तो समधन लगै हगास, तब क् या पछतावे जब चडिया चुग  
गयी खेत। वगैरह-वगैरह। सच बात तो यही है क् कसि भी पूरे कस् से के कछोटी सी लाइन में समझाने में पर्याप् त होती है सशक् त क्हावतें।  
लेकिन ताजा मसले में जो क्हावत मै पेश करने जा रहा हूं, उससे बेहतर कोई भी क्हावत नहीं हो सकती। क्हावत है:- सत् ते ने लेटर भेजा फत् ते के, बांच  
रहे है लड़हू-जगधर।

मामला है यूपी के न् यायापालकि में पैसा उगाह कर पैसला देने के लेकर चल रही चर्चाओं क् इस पर सबसे भौंडा प्रदर्शन तब हुआ जब पूर्व  
समाजवादी पार्टी के सरकार में शामिल और अब तककेसबसे बड़े बेईमान खनन माफिया केतौर पर कुख् यातहासलि कर चुकेपूर्व मंत्री गायत्री प्रजापत  
समेत तीन अभयुक् तो के लखनऊ केपॉक् सो कोर्ट केजज ने जमानत दे दी गयी। गजब बात यह है क् इससे पहले गायत्री ऐण् ड कम् पनी ने अपनी  
गरिफ्तारी के लेकर सर्वोच् च न् यायालय में क याचकि लगायी थी, जसिमें क्हा गया था क् उन् हैं गरिफ्तार नहीं क्िया जा। लेकिन सर्वोच् च  
न् यायालय ने इस याचकि के खारजि क्िया था। गायत्री और उसकेइन साथियों पर आरोप है क् उन् होने कनाबालगि बच् ची केसाथ दुराचार क्िया।

आपके बता दें क् इस मामले में इलाहाबाद उच् चन् यायालय केचीफ जस्टसि दलीप बी भौंसले ने गायत्री प्रजापत के गैर-कनूनी तरीकेसे जमानत देने  
वाले पॉक् सो कोर्ट के डीजे ओपी मशिर् के मुअत् तल कर दिया था, जबक् लखनऊ जिला वं सेशंस जज राजेंद्र सहि के हटा कर उन् हैं चंदौली भेज  
दिया गया था। माना गया क् हाईकोर्ट प्रशासन ने इस मामले में भारी गड़बड़ और मोटी रकम क लेनदेन की बात मानी थी।

00000000000000 00 000000 00 000000 00 0000 000000 00000000 00000 00 000000 000000000 :-

Written by कुमार सौवीर  
Saturday, 10 March 2018 10:40

---

### 000000 00 00000000000000

हाईकोर्ट के इस फैसले से जिस ओपी मशिर् पर जो गाज गरी, उन्हें हैं 16 दिन पहले ही यह कुर्सी मली थी। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो राजेंद्र सहि के हुआ था। उन्हें हैं राजधानी के जिला व सेशंस जज की कुर्सी से तो हटाया गया ही, हाईकोर्ट ने केलोजिम के भेजे गये उस प्रस् ताव के भी खारजि कर दिया जिसमें राजेंद्र सहि के हाईकोर्ट में जस्टिस के पद पर पदोन्नत किया जाना था। कहने की जरूरत नहीं कि किसी भी शख्स से के अपने जीवन में इससे बड़ा कोई भी धक्का नहीं हो सकता है, कि उसे हाईकोर्ट कुर्सी पर बठाने की प्रक्रिया के रद कर दिया जा।

बहरहाल, जस्टिस दिलीप बी भोंसले ने इसी मामले पर क गोपनीय पत्र देश के तब के सर्वोच्च च न यायाधीश जस्टिस जे स खेहर के भेजा था। इसमें गायत्री ऐंड कंपनी के जमानत देने के पूरे प्रकरण क जक्कि किया गया था, साथ ही इसमें इन दोनों जजों पर दायति व भी निर्धारित किये गये थे। खास बात यह है कि यह पत्र पूरी तरह गोपनीय था। और ऐसे प्रवृत्तिके पत्र के सुरक्षा की परम् पराओं के तहत चीफ जस्टिस द्वारा सील बंद कर विशेष पत्रवाहक द्वारा सीधे सर्वोच्च च न यायाधीश के हाथों में ही थमाया जाता है।

0000000000-0000 00 000000 000000 00 000000 00 0000 000000 000000 000000 000000 000000 :-

Written by कुमार सौवीर

Saturday, 10 March 2018 10:40

---

## 000000 0000 0000

अब हालत यह है कि यह तो अब तक नहीं पता चला है कि दिलीप बी भोंसले का यह गोपनीय पत्र जे स खेहर के हाथों तक पहुंचा भी या नहीं। लेकिन अब यह पत्र मीडिया के हाथों में है, जो उसकी प्रतियां बना कर कभी पानी में जहाज बना रही है, या फिर उसकी बत्ती बना कर जहां-तहां बुन-सलि का प्रयोग कर रही है। इससे बड़ा मजाक और क्यू या होगा, जब इस तथाकथित पत्र की कौपी प्रतियां टाइम्स ऑफ इंडिया के वकील ने इस मामले में भरी अदालत में मामले के वादी के हाथों में थमा दीं। इस पत्र में जो कुछ भी भोंसले द्वारा लिखा गया बताया जाता है, उस पर अब कड़ी प्रतिक्रिया शुरू हो गयी है। क्यू योंकि इस कथित पत्र का हवाला देते हुए विभिन्न मीडिया संस्थानों ने जो खबरें प्लान्ट की हैं, उसमें काफी विवाद खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक लगाये जा रहे हैं कि यह कासाजशि के तौर पर पत्र लीक किया गया है, ताकि काजज के हाईकोर्ट में प्रोन्ट नत करने की प्रक्रिया को रद्द कराया जा सके। कुछ भी हो, सवाल तो यह है कि इन दोनों शीर्ष जस्टिस के बीच होने वाले इस पत्रचार का खुलासा मीडिया में हो जाना खासा संवेदनशील मसला बताया जा रहा है।

अब जरा देखिये तो तनकि कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के उस गोपनीय पत्र को किस-किस बड़े मीडिया समूहों ने अपनी सुरखियां बना कर पेश किया था:- टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स यानी नबीटी, जागरण डॉट कॉम, आई नेक्स्ट स्पोर्ट, हनि दुस् तान टाइम्स, अमर उजाला, मेन स्पोर्ट्स, इंडिया टुडे, आज तक समेत दर्जनों आर्दा सारा झंझट इसी क्वायद के लेकर अब अदालत से लेकर सड़क तक फैलता जा रहा है।

है न हैरत की बात ?

Written by कुमर सौवीर  
Saturday, 10 March 2018 10:40

---

इसी प्रकरण पर यह कहावत समीचीन है कि- चुम्बु मन ने लेटर भेजा जुम्बु मन को, बांच रहे है लड़हू-जगधर

पुनश्च: खास बात यह है कि कहावतें हमेशा वक्त्र त की लम्बी बी सान पर चढ़ा कर ही जन-सामान् य में अपनी मान् यता हासिल कर पाती है, जबकि मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यह कहावत मैंने बलिकुल ताजा तैयार की है।

00 0000, 00000000 00 00 000000 00 000000 000000  
00 0000 000 000, 00 00 00 00000000 000000 00 00000000

00 0000 00 000000 00000 000, 00 000000 00 00000000

000000 00 00000-00 000 000000 0000 00000000000 0000 000 00 00000000 00  
000000 00 00 00000 000000000000 00000 0000000 00 00000, 0000 0000

000000000

00000 00 00 00000, 0000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 00000000 ?  
000000 00 00 00000 00 00 0000 0000 !00 00000 00 00000 00000000000000000000 00 000000 00000 ?  
00 000000, 00000000 0000000000 0000 00 000000000000 000000-00000000 00 000000000 000000  
00 00 00000 :000000 000000, 000000 00 000000 00 00

000000 0000000 00 00 00000, 000000 000000 000000